IV ऋण सुपुर्दगी एवं वित्तीय समावेशन

रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के सभी लाभप्रद क्षेत्रों में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने की योजना जारी रखते हुए बैंक रहित क्षेत्रों में औपचारिक वित्तीय सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। वर्ष के दौरान कतिपय नई पहल की गई जिसमें एमएसएमई एवं कृषि क्षेत्रों में ऋण प्रवाह से जुड़े मुद्दों को परखने के लिए विशेषज्ञ समिति/कार्य-दल का गठन, तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण सुपुर्द करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी के साथ मिलकर ऋण प्रदान करने की अनुमति देना शामिल है। साथ ही, देश में वित्तीय साक्षरता एवं समावेशन को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे उपायों के अतिरिक्त वित्तीय समावेशन 2019-2024 के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति बनाई गई।

IV.1 रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था के सभी लाभप्रद क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में पर्याप्त तथा समय पर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ऋण सुपुर्द करने की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने और साथ ही देश में सभी वर्गों के लोगों को बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता रहा है। इन क्षेत्रों में ऋण प्रवाह की समीक्षा करने के उद्देश्य से एमएसएमई को लेकर एक विशेषज्ञ समिति एवं इसके साथ-साथ कृषि ऋण की समीक्षा हेतु एक आंतरिक कार्य-दल का गठन किया गया। साथ ही, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति (एफआईएसी) के तत्वावधान में वित्तीय समावेशन 2019-2024 के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) तैयार की है, जिससे सभी नागरिकों को एक सुरक्षित एवं पारदर्शी तरीके से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इसका मूल उद्देश्य है कि वित्तीय रूप से वंचित लोगों को वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो सके।

IV.2 संवहनीय एवं समावेशी आर्थिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करने तथा सेवा से वंचित एवं कम सेवा प्राप्त जनसंख्या को सेवा पहुंचाने के लिए बैंकिंग प्रणाली की भेद्यता के स्तर में वृद्धि करने हेतु कई नवोन्मेषी उपाय किए गए। सह-उत्पत्ति मॉडल प्रारंभ किया गया जिसकी मदद से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के साथ मिलकर ऋण प्रदान कर सकते हैं। चूंकि वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन से पहले आती है, इसलिए दो-टिअर 'प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दें' कार्यक्रम बनाया गया ताकि बुनियादी स्तर पर कारगर रूप से वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) की क्षमता एवं कौशल का निर्माण किया जा सके। इसी प्रकार, क्षमता एवं कौशल निर्माण, तथा आधारभूत स्तर पर बुनियादी वित्तीय साक्षरता लाने के लिए वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) के सलाहकारों और ग्रामीण बैंकों के शाखा प्रबंधकों को संवेदनशील बनाने हेतु वित्तीय साक्षरता को लेकर दो-टिअर कार्यक्रम बनाया गया। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कार्यनीति (एनएसएफई) के अनुरूप जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए देश भर में वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिहाज से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केन्द्र (एनसीएफई) की स्थापना की गई। इस संदर्भ में, रिज़र्व बैंक का वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग (एफआईडीडी) देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नीति निरूपण एवं कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है।

IV.3 उपर्युक्त पृष्ठभूमि के विरुद्ध, 2018-19 की कार्य योजना के कार्यान्वयन की स्थिति को भाग 2 में स्पष्ट किया गया है जिसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण प्रवाह के कार्य-निष्पादन तथा वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता को

लेकर हुए विकास को दर्शाया गया है। भाग 3 में 2019-20 की कार्य योजना का उल्लेख है।

2. वर्ष 2018-19 के लिए कार्य योजना - कार्यान्वयन की स्थिति

IV.4 बीसी मॉडल को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मार्च 2019 में कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे के साथ समन्वय करते हुए बीसी के क्षमता निर्माण के लिए 'प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दें' कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बैंक के जिन संकाय सदस्यों ने इस कार्यक्रम के टिअर-I में भाग लिया था उन्हें अपने-अपने संबंधित अधिकार क्षेत्रों में ग्रामीण शाखा प्रबंधकों के लिए कार्यक्रम का टिअर-II चरण शुरू करने को कहा गया। इन शाखा प्रबंधकों से आगे अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी शाखाओं से जुड़े बीसी को संवेदनशील बनाएं तथा उन्हें सहारा दें। आधारभूत सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है जो प्रायोगिक वित्तीय साक्षरता केन्द्र (सीएफएल) परियोजना के प्रभाव के आकलन का हिस्सा बनता है। इसी भांति, वित्तीय समावेशन योजनाओं (एफआईपी) को स्वचालित डेटा निष्कर्षण परियोजना (एडीईपीटी) के साथ एकीकृत करने की वांछित प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। काश्तकार किसानों को ऋण सुपुर्द करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने के कार्य को कृषि ऋण की समीक्षा करने के लिए गठित आंतरिक कार्य-दल में शामिल किया गया है।

ऋण सुपुर्दगी

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

IV.5 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) का अति महत्वपूर्ण सिद्धान्त है कि समाज के उन संवेदनशील वर्गों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाया जाए जो ऋण के लिए पात्र होने के बावजूद विशेष वितरण व्यवस्था के अभाव में समय पर एवं पर्याप्त ऋण से वंचित रह जाते हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए किसानों, एमएसएमई, आवास, शिक्षा तथा अन्य निम्न-आय समूहों और कमजोर वर्गों के लिए छोटे मूल्य के ऋण आते हैं। पीएसएल के दायरे में सामाजिक अवसंरचना एवं अक्षय ऊर्जा को भी लाया गया है। सारणी IV.1 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने को लेकर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में एससीबी का कार्य-निष्पादन दर्शाया गया है।

सारणी IV.1: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में कार्य-निष्पादन

(₹ बिलियन)

मार्च के अंत में	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
2018	20,723 (39.9)	8,046 (40.8)	1,402 (38.3)
2019	23,060 (42.55)	10,190 (42.49)	1,543 (43.41)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित समूहों में समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र के ऋण समतुल्य (सीईओबीई), जो भी अधिक है, के प्रतिशत को दर्शाता है।

स्रोत : एससीबी द्वारा प्रस्तुत की गई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र विवरणियां।

IV.6 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) योजना अप्रैल 2016 में उन बैंकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी जिन्होंने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत भिन्न-भिन्न वर्गों को उधार देने संबंधी अपने लक्ष्यों को पार किया है। पीएसएलसी की मदद से बाजार प्रक्रिया भिन्न-भिन्न बैंकों की तुलनात्मक शक्ति का लाभ उठाने के जरिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार का संचालन करती है। रिज़र्व बैंक ने अपने कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) पोर्टल (ई-कुबेर) के माध्यम से इन प्रमाणपत्रों की ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है।

IV.7 वर्ष 2018-19 के दौरान पीएसएलसी प्लेटफार्म में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) एवं लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) सहित सभी पात्र इकाइयों की सक्रिय सहभागिता देखी गई। पीएसएलसी की कुल ट्रेडिंग मात्रा 31 मार्च 2019 में गत वर्ष की इसी अवधि के ₹1,843.3 बिलियन की तुलना में लगभग 78 प्रतिशत बढ़कर ₹3,274.3 बिलियन हो गई। पीएसएलसी की चार श्रेणियों में पीएसएलसी-सामान्य एवं पीएसएलसी-लघु और सीमांत किसानों के मामले में सर्वाधिक ट्रेडिंग दर्ज की गई, जिनकी लेनदेन मात्राएं क्रमशः ₹1,324.8 बिलियन तथा ₹1,125.0 बिलियन थीं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र दिशानिर्देशों की समीक्षा

IV.8 वर्ष 2015-16 से, एससीबी को कहा गया था कि वे सुनिश्चित करें कि गैर-कॉर्पोरेट किसानों को संपूर्ण उधार गत तीन वर्षों के प्रणाली-व्यापी औसत से नीचे न गिरे। एससीबी को यह भी कहा गया था कि वे उन लाभार्थियों को 13.50 प्रतिशत स्तर तक सीधे उधार दें जिन्होंने कृषि हेतु पहले ही सीधे उधार दिया है। वर्ष 2018-19 के लिए 11.99 प्रतिशत का प्रणाली-व्यापी औसत लक्ष्य लागू था।

IV.9 एससीबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एसएफबी को छोड़कर) को जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के साथ मिलकर ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गई थी जिससे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण सुपुर्द करने के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से पात्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आस्तियों का निर्माण किया जा सके। इस व्यवस्था के अनुसार दोनों उधारदाताएं सुविधा स्तर पर संयुक्त रूप से ऋण का योगदान करेंगे तथा जोखिमों और प्रतिफल का बंटवारा बैंक और एनबीएफसी के बीच आपसी निर्णय से हुए करार के मुताबिक उनके अपने समुचित कारोबारी उद्देश्यों के अनुरूप होंगे। इस संबंध में बैंकों और एनबीएफसी को सितंबर 2018 में दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

कृषि के लिए ऋण प्रवाह

IV.10 भारत सरकार प्रत्येक वर्ष कृषि ऋण हेतु लक्ष्य निर्धारित करती रही है। 2018-19 के दौरान, भारत सरकार ने कृषि ऋण हेतु ₹11,000 बिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया है। 31 मार्च 2019 को यथास्थिति वाणिज्यिक बैंकों ने 119.9 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया, जबकि सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) ने क्रमशः 93.26 प्रतिशत एवं 105.78 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया (सारणी IV.2)। 2019-20 के लिए ₹13,500 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है।

सारणी IV.3: किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

(संख्या मिलियन में, राशि ₹ बिलियन में)

वर्ष	क्रियाशील केसीसी की संख्या	बकाया फसल ऋण	बकाया मीयादी ऋण
1	2	3	4
2017-18	23.52	3,906.02	407.20
2018-19*	23.63	4,136.70	414.09

*: अनंतिम।

स्रोत : सरकारी क्षेत्र के बैंक एवं निजी क्षेत्र के बैंक।

IV.11 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), उपभोग, निवेश एवं बीमा सहित किसानों को उनकी खेती एवं अन्य जरूरतों के लिए एकल विंडो के अंतर्गत पर्याप्त एवं समय पर बैंक ऋण प्रदान करने के लिए एक नवोन्मेषी ऋण सुपुर्द करने की प्रक्रिया के रूप में बनकर उभरा है। केसीसी योजना में अब पशु पालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी शामिल किया गया है जिससे वे अपनी कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस योजना के गत दो वर्षों के कार्य-निष्पादन को सारणी IV.3 में दर्शाया गया है।

सारणी IV.2: कृषि ऋण के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धियां

(₹ बिलियन)

वर्ष	वाणिज्यिक बैंक		सहकारी बैंक		आरआरबी		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017-18	7,040	8,711	1,560	1,503	1,400	1,412	10,000	11,626
2018-19*	7,920	9,496	1,650	1,539	1,430	1,513	11,000	12,548

*: अनंतिम।

स्रोत : राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)।

सारणी IV.4: राष्ट्रीय आपदाओं के लिए राहत उपाय

(संख्या मिलियन में, राशि ₹ बिलियन में)

वर्ष	पुनर्गठित/ पुनर्निर्धारित ऋण		प्रदत्त नये वित्त/पुनर्वित्त	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
2017-18	0.36	26.38	1.04	36.01
2018-19*	0.39	103.49	0.55	109.83

*: अनंतिम।

स्रोत : राज्य स्तरीय बैंकर समितियां (एसएलबीसी)।

राष्ट्रीय आपदाओं के लिए राहत उपाय

IV.12 फिलहाल, भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क के दायरे में 12 प्रकार की राष्ट्रीय आपदाओं को शामिल किया गया है यथा, चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सूनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमला और शीत लहर/ठंड। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अधिदेश दिया है कि जहां राष्ट्रीय आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में 33 प्रतिशत या अधिक की फसल हानि हुई है वहां राहत उपाय करें। राहत उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान ऋणों का पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण एवं उधारकर्ताओं की उभरती आवश्यकता के अनुसार नए ऋणों को मंजूरी देना शामिल है। 2018-19 के दौरान, सात राज्यों द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई, जिनके नाम हैं, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं गुजरात। 2018-19 में राष्ट्रीय आपदाओं के समय बैंकों द्वारा जितने राहत उपाय किए गए उसके लिए सारणी IV.4 देखें।

सारणी IV.5: एमएसई को ऋण प्रवाह

वर्ष	खातों की संख्या (मिलियन)	बकाया राशि (₹ बिलियन)	एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में एमएसई ऋण
1	2	3	4
2017-18	25.9	11,493.5	14.6
2018-19	31.8	13,132.3	15.05

स्रोत : एससीबी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र विवरणियां।

एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह

IV.13 एमएसएमई में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपायों एवं पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की बदौलत एमएसई को ऋण प्रवाह बढ़ा (सारणी IV.5)।

IV.14 एमएसएमई क्षेत्र रोजगार निर्माण एवं क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक असंतुलनों को कम करने, दोनों के संदर्भ में अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है (बॉक्स IV.1)। तथापि,

बॉक्स IV.1

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संबंध में विशेषज्ञ समिति

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम रोजगार निर्माण, नवोन्मेषण, निर्यात तथा अर्थव्यवस्था की समावेशी वृद्धि में योगदान के संदर्भ में अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। सरकार और रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र के समर्थन में समय-समय पर कई उपाय किए हैं। तथापि, एमएसएमई को, औपचारिक रूप देने, प्रौद्योगिकी को अपनाने, क्षमता निर्माण, बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज, ऋण तक पहुंच की कमी, जोखिम पूंजी एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा विपणन तक पहुंच को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ा रहा है। इसलिए, 2018-19 (05 दिसंबर 2018) हेतु पांचवे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के दौरान घोषणा की गई थी कि रिज़र्व बैंक 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संबंध में विशेषज्ञ समिति' का गठन करेगा जो एमएसएमई क्षेत्र की आर्थिक और वित्तीय संवहनीयता के लिए कारणों का पता लगाएगी तथा दीर्घकालिक हल सुझाएगी। तदनुसार, (अध्यक्ष: श्री यू.के.सिन्हा), इस समिति का गठन किया गया। समिति ने केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य सरकारों, बहुपक्षीय संस्थाओं, उद्योग संघों, एमएसएमई उद्यमियों एवं विविध अन्य हितधारकों के साथ सलाह मशविरा किया तथा क्षमता निर्माण, नीति परिवर्तन एवं वित्तीय जरूरतों जैसे मामलों पर गौर किया ताकि इस क्षेत्र की संभाव्य क्षमताओं का पता लगाया जा सके। इसकी रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को 18 जून 2019 को पेश की गई। समिति ने एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए वैधानिक एवं संस्थागत फ्रेमवर्क, वित्त तक पहुंच, क्षमता निर्माण और नए प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों जैसे मामलों को लेकर विभिन्न सिफ़ारिशें कीं। इन सिफारिशों को कार्यान्वयन हेतु परखा जा रहा है। इसकी रिपोर्ट व्यापक प्रसार हेतु आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वित्त तक पहुंच एवं ऋण की लागत क्षेत्र के लिए चिंता का विषय रहा है। इस मुद्दे से निपटने के लिए, भारत सरकार ने 02 नवंबर 2018 को एमएसएमई क्षेत्र के लिए 2 प्रतिशत का ब्याज अनुदान घोषित किया, जो वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए लागू है। सभी नई कार्यशील पूंजी या वृद्धिशील राशि या इस क्षेत्र में केवल ₹10 मिलियन तक के नए मीयादी ऋण इस योजना की अवधि के दौरान ब्याज अनुदान के लिए पात्र होंगे। योजना के अंतर्गत वे सभी एमएसएमई पात्र हैं जिनके पास वैध उद्योग आधार संख्या (यूएएन) एवं जीएसटीएन संख्या है। साथ ही, योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के ऋण खाते, दावा करने की तारीख को, इस संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए घोषित नहीं किए गए हों। पात्र लाभार्थी उस अवधि में कोई ब्याज अनुदान प्राप्त नहीं कर सकेंगे जिस दौरान उनके ऋण खाते एनपीए श्रेणी में रहते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को योजना के राष्ट्रीय स्तरीय कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। योजना के कार्यान्वयन को लेकर रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2019 में एससीबी को परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किया है।

वित्तीय समावेशन

IV.15 रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान वित्तीय समावेशन कार्य योजना को पूरा करने के अपने प्रयासों को लगातार जारी रखा है जिससे अभिप्रेत आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इस दिशा में, 2018-19 के दौरान कई नई पहल की गईं ।

अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) का पुनर्निर्माण

IV.16 रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशकों की एक समिति गठित की गई ताकि अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) की प्रभावकारिता का अध्ययन किया जा सके और उसके सुधार के लिए उपाय किए जा सकें। समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर, 06 अप्रैल 2018 को सभी राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) संयोजक बैंकों/ अग्रणी बैंकों को अग्रणी बैंक योजना के पुनर्निर्माण के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए एवं साथ ही सभी अग्रणी बैंकों को कतिपय कार्य बिंदुओं के साथ अग्रणी जिला प्रबंधकों (एलडीएम) की प्रभावकारिता बढ़ाने के संबंध में अलग से दिशानिर्देश जारी किए गए। दिशानिर्देशों में सुझाए गए कार्य बिंदुओं के अनुसार, सभी राज्यों/यूटी में एसएलबीसी/यूटी स्तरीय बैंकर समिति (यूटीएलबीसी) की एक संचालन उप-समिति का गठन किया गया और सभी एसएलबीसी/यूटीएलबीसी बैठकों के लिए संशोधित कार्य योजना अपनाई गई। शाखाओं, ब्लॉक्स, जिलों और राज्यों के लिए कॉर्पोरेट बिजनेस लक्ष्यों को वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) के साथ मिलाने, सूचना/डेटा के मानकीकरण, एवं एलबीएस के अंतर्गत डेटा प्रवाह के प्रबंधन से जुड़े कार्य बिंदु कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं।

अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपना

IV.17 एलबीएस के अंतर्गत, प्रत्येक जिलें में एक बैंक को नेतृत्व की भूमिका सौंपी गई है और वह उस जिले में बैंकों के प्रयासों के समन्वय के लिए संघ के नेता के रूप में कार्य करता है, विशेष रूप से शाखा विस्तार एवं जिले की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण आयोजना जैसे मामलों में। रिज़र्व बैंक प्रत्येक जिले में नामित बैंक को अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपने का कार्य करता है। जून 2019 को यथास्थिति, देश भर के 717 जिलों में 18 सरकारी क्षेत्र के बैंकों और एक निजी क्षेत्र के बैंक को अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

वित्तीय समावेशन योजनाएं (एफआईपी)

IV.18 वित्तीय समावेशन के लिए योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने के उद्देश्य से बैंकों को बोर्ड-अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजनाएं (एफआईपी) बनाने को कहा गया। इन एफआईपी के जरिए विभिन्न पैरामीटरों जैसे, आउटलेट की संख्या (शाखाओं और बीसी), बुनियादी बचत बैंक जमा खातों (बीएसबीडीए), ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, केसीसी एवं सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) खातों तथा आईसीटी-बीसी खातों में लेनदेन के संबंध में बैंकों की उपलब्धियों का पता लगाया जाता है। एफआईपी के तहत उपर्युक्त पैरामीटरों के संबंध में बैंकों की प्रगति को सारणी IV.6 में दर्शाया गया है।

सारणी IV.6: वित्तीय समावेशन योजना : प्रगति रिपोर्ट

विवरण	मार्च 2010 के अंत में	मार्च 2018 के अंत में	मार्च 2019 के अंत में*
1	2	3	4
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स - शाखाएं	33,378	50,805	52,489
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स > 2000-बीसी	8,390	100,802	130,687
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स < 2000-बीसी	25,784	414,515	410,442
गांवों में कुल बैंकिंग आउटलेट्स – बीसी	34,174	515,317	541,129
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स – अन्य प्रकार	142	3,425	3,537
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स – कुल	**67,694**	**569,547**	597,155
बीसी के जरिए समावेशित शहरी क्षेत्र$	447	142,959	447,170
बीएसबीडीए – शाखाओं के जरिए (संख्या मिलियन में)	**60**	**247**	255
बीएसबीडीए – शाखाओं के जरिए (राशि बिलियन में)	**44**	**731**	878
बीएसबीडीए – बीसी के जरिए (संख्या मिलियन में)	13	289	319
बीएसबीडीए – बीसी के जरिए (राशि बिलियन में)	11	391	532
बीएसबीडीए – कुल (संख्या मिलियन में)	73	536	574
बीएसबीडीए – कुल (राशि बिलियन में)	55	1,121	1,410
बीएसबीडीए में प्राप्त ओडी सुविधा (संख्या मिलियन में)	0.2	6	6
बीएसबीडीए में प्राप्त ओडी सुविधा (राशि बिलियन में)	0.1	4	4
केसीसी – कुल (संख्या मिलियन में)	24	46	49
केसीसी – कुल (राशि बिलियन में)	1,240	6,096	6,680
जीसीसी – कुल (संख्या मिलियन में)	1	12	12
जीसीसी – कुल (राशि बिलियन में)	35	1,498	1,745
आईसीटी-खाता-बीसी-कुल लेनदेन (संख्या मिलियन में)#	27	1,489	2,084
आईसीटी-खाता-बीसी-कुल लेनदेन (राशि बिलियन में)#	7	4,292	5,884

*: अनंतिम।
$: यह रिपोर्ट किया गया है कि 447,170 आउटलेट में से 388,868 आउटलेट सीमित सेवाएँ देते हैं जैसे, केवल विप्रेषण या ऋण के स्त्रोत उपलब्ध कराना आदि।
#: वित्त वर्ष के दौरान के लेनदेन।
स्रोत : बैंकों द्वारा जैसा सूचित किया गया।

राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति

IV.19 देश में संवहनीय तरीके से वित्तीय समावेशन के स्तर को व्यवस्थित रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से एफआईएसी के तत्वावधान में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति बनाई गई और यह भारत सरकार एवं अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामकों से प्राप्त जानकारियों एवं सुझावों पर आधारित है (बॉक्स IV.2)।

बैंकिंग सेवाओं की भेद्यता

IV.20 देश में बैंक रहित गांवों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए रिज़र्व बैंक ने कई उपाय किए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं मध्यवर्ती संस्थाओं की बदौलत किफ़ायती लागत पर बैंकिंग सेवाओं के आउटरीच, स्तर एवं गहराई में वृद्धि कर पाना संभव हो पाया। एसएलबीसी संयोजक बैंकों को कहा गया कि टिअर 5 और 6 केन्द्रों में आनेवाले बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों (यूआरसी) में नए बैंकिंग आउटलेट खोलते समय बैंकों द्वारा 5,000 से अधिक आबादी वाले (अर्थात टिअर 5 केन्द्र) यूआरसी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, एसएलबीसी संयोजक बैंकों को कहा गया कि 2,000 से कम आबादी वाले अभी भी बैंक रहित गांवों में सीबीएस योग्य बैंकिंग आउटलेट या अंशकालिक बैंकिंग आउटलेट खोले जाने पर विचार किया जाए। बैंकों (एसएफबी सहित) को अपने आउटलेट खोलने में सुविधा हो, इस उद्देश्य से एसएलबीसी को यह भी कहा गया कि राज्य में सभी यूआरसी की अद्यतन सूची का समेकन एवं रखरखाव किया जाए और एसएलबीसी बैठकों में प्रगति की समीक्षा की जाए। 30 सितंबर 2018 को यथास्थिति देश भर में 5,000 से अधिक आबादी वाले 8,018

बॉक्स IV.2

राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति

वित्तीय समावेशन को दुनिया भर में आर्थिक संवृद्धि एवं गरीबी उन्मूलन के प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में पहचाना जा रहा है। औपचारिक वित्त तक पहुंच से रोजगार निर्माण को बढ़ावा मिलता है, आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशीलता में कमी आती है और मानव पूंजी में निवेश बढ़ता है। वृहद स्तर पर, अधिकाधिक वित्तीय समावेशन से सभी के लिए संवहनीय एवं समावेशी सामाजिक-आर्थिक संवृद्धि को बल मिलता है।

उपर्युक्त लक्ष्यों को एक समन्वित एवं समयबद्ध ढंग से प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति (एनएसएफआई) का निरूपण अनिवार्य है। वैश्विक स्तर पर, पिछले दशक में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति (एनएसएफआई) को अपनाने में काफी गति मिली। 2018 के मध्य में, 35 से अधिक देशों ने, जिसमें ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, पेरू और नाइजीरिया शामिल हैं, एनएफआईएस शुरू की एवं 25 अन्य देशों में कार्यनीति निरूपण की प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त, कई देशों ने अपनी मूल एनएफआईएस को अद्यतन भी किया है (वर्ल्ड बैंक, 2018)।

रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति (एफआईएसी) के तत्वावधान में भारत के लिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति 2019-2024 बनाई है और यह भारत सरकार एवं अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामकों, जैसे, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से प्राप्त जानकारियों एवं सुझावों पर आधारित है। इस दस्तावेज में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), वाणिज्यिक बैंक, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) तथा स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) आदि सहित विभिन्न प्रकार के हितधारकों एवं बाजार भागीदारों के साथ भिन्न-भिन्न स्तर पर किए गए परामर्शों के निष्कर्षों को भी प्रस्तुत किया गया है।

दस्तावेज में भारत में वित्तीय समावेशन की स्थिति एवं अड़चनों, वित्तीय समावेशन संबंधी विशिष्ट लक्ष्यों, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य योजना तथा प्रगति मापने की पद्धति का विश्लेषण शामिल है। कार्यनीति में प्रगतिशील सिफ़ारिशें करते हुए **समावेशी एवं आघात सहनीय** बहु-हितधारक आधारित वृद्धि को समर्थन प्रदान करने के लिए सभी नागरिकों को एक **सुरक्षित एवं पारदर्शी** तरीके से औपचारिक वित्तीय सेवाएं **उपलब्ध, सुलभ एवं किफायती** होने की परिकल्पना की गई है ताकि बीसी मॉडल का लाभ उठाते हुए कई बुनियादी वित्तीय सेवाओं के जरिए वित्तीय सेवाओं तक सर्वव्यापी पहुंच, आजीविका और कौशल विकास तक पहुंच, वित्तीय साक्षरता एवं शिक्षा, ग्राहक सुरक्षा तथा शिकायत निवारण के साथ प्रभावकारी समन्वय में मदद हो सके। जहां विभिन्न पहलों के माध्यम से समाज के अब तक के वंचित वर्गों को वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में आसानी हुई, वहीं कार्यनीति का लक्ष्य वित्तीय समावेशन की पहुंच को और गहरा करने, तथा उसके उपयोग एवं संवहनीयता पर केंद्रित है। इस दस्तावेज का अनुमोदन वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद उप-समिति द्वारा 14 मार्च 2019 को किया गया था।

अभिचिन्हित गांवों में से 6,054 (75.51 प्रतिशत) गांवों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। साथ ही, देश भर में 2,000 से कम आबादी वाले 4,91,879 अभिचिन्हित गांवों में से 4,81,303 (97.85 प्रतिशत) गांवों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराई गईं (30 सितंबर 2018)।

कारोबार प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण हेतु 'प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दें' कार्यक्रम

IV.21 विभाग द्वारा बुनियादी स्तर पर वित्तीय सेवाएं प्रभावशाली तरीके से पहुंचाने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य से कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) की क्षमता और कौशल निर्माण हेतु दो टिअर 'प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दें' कार्यक्रम, '*संसाधनों के कार्य-निष्पादन हेतु कौशल उन्नयन – बीसी*' (एसयूपीईआर-बी) तैयार किया गया : (ए) ऐसे प्रेरित प्रशिक्षकों के समूह को प्रशिक्षण देना जो बीसी के साथ व्यवहार करने वाले अपने क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व लेगा; (बी) एक पेशेवर बीसी कार्यबल का निर्माण करना ताकि पारंपरिक वित्तीय उत्पादों से बढ़कर जनता की जरूरतों को पूरा किया जा सके; और (सी) एक ऐसा मंच प्रदान करना जहां बीसी फ्रेमवर्क तथा भिन्न-भिन्न बैंकों के बीच संभावित सम्मिलन को लेकर बेहतरीन कार्यप्रणालियों को साझा किया जा सके और उन्हें बीसी नेटवर्क के तेजी से फैलने के कारण प्राप्त होने वाले संभाव्य अवसरों तथा उनके जोखिमों से अवगत कराया जा सके।

IV.22 कार्यक्रम के प्रथम टिअर में, बैंकों के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों से संकाय सदस्यों तथा रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से अधिकारियों को सीएबी, पुणे में जागरूक किया जाता है।

कार्यक्रम के द्वितीय टिअर में बैंक शाखा प्रबंधकों (ग्रामीण बैंक शाखाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए) के लिए एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला शामिल है जिसे कार्यक्रम के प्रथम चरण के लाभार्थियों द्वारा संचालित किया जाना है। अंततः, इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षणाधीन बैंक प्रबंधकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी शाखाओं से जुड़े बीसी को जागरूक करें एवं सहारा दें।

राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केन्द्र की स्थापना (एनसीएफई)

IV.23 एनसीएफई की स्थापना ₹1,000 मिलियन की शेयर पूंजी (आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई एवं पीएफआरडीए के बीच क्रमशः 30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत के अनुपात में हिस्सेदारी) के साथ वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद – उप समिति (एफएसडीसी-एससी) के निदेशों के मुताबिक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत की गई है। एनसीएफई ने राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कार्यनीति के तत्वावधान में वित्तीय जागरूकता एवं सशक्तिकरण लाने के लिए संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, प्रशिक्षणों, कार्यक्रमों व अभियानों आदि के रूप में पूरे देश में वित्तीय शिक्षा अभियान चलाने के जरिए जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए पूरे भारत में वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित किया हुआ है।

वित्तीय साक्षरता

IV.24 वित्तीय साक्षरता रिज़र्व बैंक की वित्तीय समावेशन पहलों को प्रभावशाली बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिशा में, 2018-19 के दौरान कई नई पहल की गईं।

वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (सीएफएल) के संबंध में प्रायोगिक परियोजना के प्रभाव का आकलन

IV.25 वर्ष के दौरान आधारभूत सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है जो सीएफएल के संबंध में प्रायोगिक परियोजना के प्रभाव के आकलन का हिस्सा बनता है। आधारभूत सर्वेक्षण के कतिपय निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

ए. सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े कई समुदायों की वित्तीय साक्षरता पहलों तक पहुंच अपेक्षाकृत रूप से बहुत कम है इसलिए इन समुदायों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है।

बी. वित्तीय शिक्षा संबंधी विभिन्न पहलों में से व्यक्तिगत चर्चा एवं सामूहिक प्रशिक्षण या जागरूकता निर्माण कार्यक्रम प्रभावशाली पाया गया।

सी. संदेशों के प्रसार हेतु मीडिया/चैनल के उपयोग की प्रभावशीलता के संबंध में दूरदर्शन की अपने ऑडीओ और विजूअल दोनों सामग्रियों को प्रसारित करने की योग्यता की बदौलत लक्षित ग्रामीण जनसंख्या में पहुंच सर्वाधिक है और इससे अधिक दृश्यता के साथ संदेशों का प्रसार होता है और लंबे समय तक याद रहता है।

IV.26 सर्वेक्षण में यह भी सुझाव दिया है कि डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग को व्यवहार में लाने तथा शिकायत निवारण प्रक्रिया के प्रति जागरुकता लाने को लेकर अनिवार्यतः पर्याप्त प्रयास किए जाने चाहिएं जिससे डिजिटल वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में लोगों को सुविधा हो सके। साथ ही, वर्तमान प्रशिक्षण सामग्री की समय-समय पर समीक्षा करने और उसे समुदाय की जरूरतों के अनुरूप बनाने की जरूरत है ताकि वांछित व्यवहार बेहतर तरीके से अपनाया जा सके।

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019

IV.27 वित्तीय साक्षरता सप्ताह रिज़र्व बैंक की एक नई पहल है जो प्रत्येक वर्ष एकाग्र अभियान के जरिए प्रमुख विषयों पर जागरूकता लाता है। इस वर्ष, 03-07 जून 2019 के दौरान 'किसान' एवं औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा होने से उन्हें कैसे लाभ होता है विषय पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया गया। कृषक समुदाय में जागरूकता लाने तथा वित्तीय साक्षरता संबंधी संदेशों को प्रसारित करने के लिए *जिम्मेदार उधार एवं कृषि वित्त* पर पोस्टर/लीफ़लेट एवं ऑडीओ विजूअल के रूप में सामग्री तैयार की गई। बैंकों

को कहा गया कि वे अपनी ग्रामीण बैंक शाखाओं, एफएलसी, एटीएम तथा वेबसाइट में पोस्टर तथा सामग्री प्रदर्शित करें। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने जून 2019 माह के दौरान किसानों को वित्तीय जागरूकता के संबंध में अत्यावश्यक संदेश प्रसारित करने हेतु दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर एक केन्द्रीकृत जन माध्यम अभियान भी चलाया।

ग्रामीण शाखा प्रबंधकों और वित्तीय साक्षरता सलाहकारों के लिए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दें कार्यक्रम

IV.28 क्षमता एवं कौशल निर्माण, तथा आधारभूत स्तर पर बुनियादी वित्तीय साक्षरता लाने के लिए एफएलसी के सलाहकारों और ग्रामीण बैंकों के शाखा प्रबंधकों को संवेदनशील बनाने के लिए वित्तीय साक्षरता को लेकर दो-टिअर कार्यक्रम बनाया गया। कार्यक्रम के प्रथम टिअर में, बैंकों के मुख्य साक्षरता अधिकारियों (सीएलओ) तथा अग्रणी साक्षरता अधिकारियों (एलएलओ) को सीएबी, पुणे में प्रत्येक वर्ष जागरूक किया जाता है। कार्यक्रम के द्वितीय टिअर में बैंकों के एलएलओ द्वारा एफ़एलसी सलाहकारों, बैंक के ग्रामीण शाखा प्रबंधकों तथा प्रायोजित आरआरबी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एलएलओ को कहा गया है कि वे बैंकों के क्षेत्रीय /स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ समन्वय करने के जरिए टिअर II कार्यक्रम आयोजित करे।

एफएलसी द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता गतिविधियां

IV.29 मार्च 2019 की समाप्ति को यथास्थिति, देश में 1,483 एफएलसी परिचालन में थे। वर्ष 2018-19 के दौरान, एफएलसी द्वारा 145,427 वित्तीय साक्षरता संबंधी गतिविधियां आयोजित की गईं जबकि गत वर्ष में इसी अवधि के दौरान 129,280 गतिविधियां हुई थीं।

3. वर्ष 2019-20 हेतु कार्य योजना

IV.30 भविष्य में, रिज़र्व बैंक ऋण सुपुर्दगी एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की दिशा में निम्नलिखित उपाय करेगा: (ए) सीएफएल परियोजना को राजस्थान, झारखंड एवं मध्य प्रदेश राज्यों में 20 आदिवासी ब्लॉक तक बढ़ाया गया है और यह दो वर्षों की अवधि के लिए चलेगी; (बी) एमएसएमई के संबंध में विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष : श्री यू.के. सिन्हा) द्वारा की गई विभिन्न सिफ़ारिशों को कार्यान्वयन हेतु परखा जाएगा; और (सी) रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2019 में कृषि ऋण की समीक्षा हेतु एक आंतरिक कार्य दल (अध्यक्ष : श्री एम.के. जैन, उप गवर्नर) का गठन किया। यह संभावना है कि कार्य दल कृषि ऋण वितरण को लेकर क्षेत्रीय असमानता संबंधी मुद्दों की जांच करे और संबद्ध गतिविधियों एवं पूंजी निर्माण के संवर्धन सहित कृषि हेतु असमान ऋण वितरण का हल करने के लिए व्यावहारिक समाधान पर पहुंचे तथा नीतिगत पहल करे।